

## तुलना या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
तुलना

17/10/18

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण प्रार्थीगण गणफार आठ हजारों रूँ वगै. द्वारा रिस्वीवार्ड पत्नी रज. मुलमोहम्मद वगै. के विरुद्ध वास्ते भूमि रिस्वीवरी बाबत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की स्वातेदारी अधिकार की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी अप्रार्थीगण को लगभग 15 वर्ष पूर्व 3000 रुपये प्रति बीघा की दर से ज्वारा काशत पर दी थी. जिस पर लगभग 8 वर्ष तक जुवारा काशत की राशि प्रतिवादीगण द्वारा अदा की गई किन्तु 10 वर्ष पूर्व से प्रतिवादीगण ने वादीगण को जुवारा काशत की रकम करने से मना कर दिया तथा जमीन का कब्जा छोडने से भी मना कर दिया गया। इस पर वादीगण ने कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र के अनुसार उन्होंने विवादित आराजी वादीगण से 47000/- रुपये के प्रतिफल में क्रय कर ली है। बेचान का कोई वैध विक्रय पत्र पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रतिवादीगण की स्थिति विवादित आराजी पर अतिक्रमी से अधिक नहीं है, 100 या 100 से अधिक का कोई विक्रय पत्र बिना पंजीयन किसी भी उद्देश्य से साक्ष्य में पत्नीय नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में एक वाद संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का सिविल न्यायाधीश तालेडा में वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी सिविल न्यायाधीश तालेडा द्वारा स्वारिज किया जा चुका है प्रतिवादीगण ताकत के बल पर विवादीत भूमि पर काबिज है तथा जबरदस्ती खेती करते हुये लाभ प्राप्त कर रहे है। ऐसी स्थिती में विवादीत भूमि पर अतिक्रमण करने वाले कब्जेधारियों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिती में नियन्त्रण के लिये रिस्वीवरी कायम होना आवश्यक है। अतः विवादीत भूमि को कुर्क किया जाकर रिस्वीवर नियुक्त किये जाने के आदेश फरमावे। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बन्द कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण की स्वातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा कर लगातार काशत के माध्यम से मुनाफा कमाया जाने के कारण अप्रार्थीगण के होसले बुलन्द होना अवगत कराते हुये प्रार्थना पत्र में विवादीत भूमि को कुर्क कर तहसीलदार को रिस्वीवर नियुक्त करने का साथ ही यह भी अवगत कराया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के वाद प्रस्तुत करने के पश्चात पृथक से एक वाद इस न्यायालय में पेश किया जो इसी वाद में समेकित किया जा चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय तालेडा में विवादीत भूमि के संबंध में एक वाद संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादीत भूमि को कुर्क किया जाकर रिस्वीवर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा अपने बहस के समर्थन में कानूनी नजीरे आर.आर.डी. 2013 पेज नं0 482, आर.आर. डी. 1994 पेज नं0.145 पेश किये।

दोराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर कब्जा प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है विवादीत कृषि भूमि दिनांक 17.02.1988 को ही प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को 47000/- रुपये के प्रतिफल की एवज में बेचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था। तभी से अप्रार्थीगण काबिज काशत है। प्रार्थीगण को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत जिलाधीश बून्दी से अनुमति लेकर अप्रार्थीगण के पक्ष में विक्रय का पंजीयन करवाना था किन्तु समय गुजरने के साथ ही प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ जाने से बेचान का

प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / .....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पंजीयन करवाने से इनकार कर दिया। अप्रार्थीगण विवादीत आराजी पर भूमि क्रय दिनांक से ही काबिज काशत होने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार बन चुके है। प्रार्थीगण का विवादीत आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, तथ्य एवं प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी के संबंध में प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों, दस्तावेज बहस उभयपक्ष एवं समेकित वाद पत्र से यह प्रतीत होता है कि विवादीत आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा काशत दिनांक 17.02.1988 से है जो कि पक्षकारो के मध्य क्रय- विक्रय के आधार पर होना प्रतीत होता है। किन्तु उक्त स्थिती में बयनामा एवं कब्जा काशत के आधार पर कौन विवादीत भूमि का वास्तविक हकदार है इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर किया जाना है ना कि उक्त प्रार्थना पत्र में बयनामे को अथवा राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रविष्टियों के आधार पर निर्धारण किया जावे। क्योकि यहा यह प्रश्न विचारणीय है कि प्रार्थीगण द्वारा यदि अप्रार्थीगण ने वर्ष 1988 से भूमि पर कब्जा कर काशत कर रहे थे तो वर्ष 2008 तक लगभग 20 वर्ष तक भूमि से कब्जा हटाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी का विवरण अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर विवादीत आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

